न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, शहडोल, जिला शहडोल (म0प्र0)

(पीठासीन न्यायाधीश–व्ही0पी0 सिंह)

S.T.N0.	**226/2019**
Filing NO.	**2829/2019**
CNR NO.	**MP18010034102019**
Filing Date	**25-09-2019**

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र सोहागपुर जिला शहडोल (म0प्र0)

––––––––––––––––––**अभियोजन**

बनाम

1. सोनू उर्फ मिथलेश सिंह पिता श्री हरिभान सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम रहठा थाना नौरोजाबाद जिला उमरिया (म0प्र0)
2. जितेन्द्र कुमार सिंह पिता श्री रमेश सिंह उम्र 20 वर्ष निवासी कुदरा टोला थाना करन पठान जिला अनूपपुर (म0प्र0)
3. रघुराज सिंह पिता औसर सिंह उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम पैलवाह थाना गोहपारू जिला शहडोल (म0प्र0)

––––––––––––––––––**अभियुक्तगण**

––

यह सत्र प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल श्री विवेक कुमार सिंह के द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 814/19 म0प्र0शासन बनाम सोनू उर्फ मिथलेश वगैरह में पारित उपार्पण आदेश दिनांक 23.09.2019 से उत्पन्न।

––

अभियोजन द्वारा – श्री सुरेश जेठानी लोक अभियोजक।
अभियुक्तगण द्वारा – श्री शरद उदानिया अधिवक्ता।

––

नियम व आदेश आपराधिक के नियम 238ए के तहत सूची

अपराध की तारीख	09–08–2019
प्र0सू0रि0 की तारीख	14–08–2019
आरोपी–पत्र की तारीख	05–09–2019
आरोपों की विरचना की तारीख	17–10–2019
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	23–10–2019
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	04–03–2023

निर्णय की तारीख	13–03–2023
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तारीख	13–03–2023

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धी	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
–	सोनू उर्फ मिथलेश सिंह	15.08.19	21.11.19	392 / 34 भा.दं.सं.	दोषसिद्ध	निर्णय अनुसार	15.08.19 से दिनांक 21.11.19 तक की अवधि।
–	जितेन्द्र कुमार सिंह	15.08.19	19.11.19	392 / 34 भा.दं.सं.	दोषसिद्ध	निर्णय अनुसार	15.08.19 से दिनांक 19.11.19 तक की अवधि
–	रघुराज सिंह	15.08.19	21.11.19	392 / 34 भा.दं.सं.	दोषसिद्ध	निर्णय अनुसार	15.08.19 से दिनांक 21.11.19 तक की अवधि।

<u>अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची</u>

<u>{क} अभियोजन –</u>

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
गवाह नंबर–1	अंकित सोनी	कथन
गवाह नंबर–2	बी0आर0 नेताम	पहचान पंचनामा
गवाह नंबर–3	रामदास बैगा	फरियादी
गवाह नंबर–4	रामप्रताप साहू	तलाश, जप्ती साक्षी
गवाह नंबर–5	सुनीता बैगा	कथन
गवाह नंबर–6	राजकुमार कोल	कथन
गवाह नंबर–7	श्रीमती गोल्ली	कथन
गवाह नंबर–8	श्रीमती गुड़िया कोल	कथन

गवाह नंबर–9	रामराज पाण्डेय	प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखकर्ता
गवाह नंबर–10	एस0के0 तिवारी	संपूर्ण विवेचना

{ख} प्रतिरक्षा –

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
––निल––	––निल––	––निल––

{ग} न्यायालयीन साक्षी –

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
––निल––	––निल––	––निल––

{क} अभियोजन प्रदर्शों की सूची –

सं.कं.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1	प्र0पी0–1	माइक्रो उत्कर्ष बैंक के ऋणि सदस्यों की सूची
2	प्र0पी0–2	माइक्रो उत्कर्ष बैंक के ऋणि सदस्यों की सूची
3	प्र0पी0–3	माइक्रो उत्कर्ष बैंक के केशियर का प्रतिवेदन
4	प्र0पी0–4	पहचान कार्यवाही हेतु दिया गया नोटिस
5	प्र0पी0–5	पहचान पंचनामा
6	प्र0पी0–6	फरियादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट
7	प्र0पी0–7	प्रथम सूचना रिपोर्ट
8	प्र0पी0–8	धारा 160 दं0प्र0सं0 की नोटिस
9	प्र0पी0–9	आरोपी सोनू का मेमोरण्डम कथन
10	प्र0पी0–10	आरोपी जितेन्द्र का मेमोरण्डम कथन
11	प्र0पी0–11	आरोपी रघुराज का मेमोरण्डम कथन
12	प्र0पी0–12	आरोपी सोनू का जप्ती पत्रक
13	प्र0पी0–13	आरोपी जितेन्द्र का जप्ती पत्रक
14	प्र0पी0–14	आरोपी रघुराज का जप्ती पत्रक
15	प्र0पी0–15	साक्षी गोल्ली बैगा का कथन
16	प्र0पी0–16	आरोपी मिथलेश का गिरफ्तारी पत्रक
17	प्र0पी0–17	आरोपी जितेन्द्र का गिरफ्तारी पत्रक
18	प्र0पी0–18	आरोपी रघुराज का गिरफ्तारी पत्रक
19	प्र0पी0–19	प्रथम सूचना रिपोर्ट न्यायालय में भेजे जाने की पावती

20	प्र0पी0–20	शिनाख्तगी कार्यवाही की अनुमति हेतु लिया गया आवेदन
21	प्र0पी0–21	बैंक प्रबंधक को लिखे गये पत्र की पावती

{ख} प्रतिरक्षा प्रदर्शों की सूची –

संं.कं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्र0डी0–1	फरियादी रामदास का कथन
2	प्र0डी0–2	साक्षी सुनीता बैगा का पुलिस कथन
3	प्र0डी0–3	नजरी नक्शा

{ग} न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची –

संं.कं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
––निल––	––निल––	––निल––

{घ} आवश्यक वस्तुएं –

संं.कं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	आर्टिकिल–ए	आधार कार्ड
2	आर्टिकिल–बी	आरोपियों से जप्तशुदा राशि

'' नि र्ण य ''

(आज दिनांक 13–03–2023 को पारित किया गया)

01. आरोपीगण पर यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक 09–08–2019 को समय लगभग शाम 7 से 8 बजे के बीच ग्राम केरहाई टोला जंगल में मेन रोड अंतर्गत थाना सोहागपुर में अपने सबके सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी रामदास उर्फ गुल्लू बैगा के पैंट की जेब में रखा 17,550/– रूपये, जो फरियादी की पत्नी द्वारा बैंक में जमा करने के लिये दिया गया था एवं फरियादी का आधार कार्ड, फरियादी को धमकी देकर जबरदस्ती छीनकर लूट कारित की। इस प्रकार से आरोपियों पर निम्नानुसार आरोप है :–

क्रमांक	आरोपीगण का नाम/पिता का नाम	आरोपित अपराध
1–	सोनू उर्फ मिथलेश सिंह	धारा 392/34 भा0दं0सं0
2–	जितेन्द्र कुमार सिंह	धारा 392/34 भा0द0सं0
3–	रघुराज सिंह	धारा 392/34 भा0द0सं0

02. **<u>आरोपीगण ने निम्नलिखित तथ्यों को स्वीकार किया है :–</u>**

(क) आरोपीगण को प्र0पी0–16, प्र0पी0–17 एवं प्र0पी0–18 के गिरफ्तारी पंचनामा अनुसार गिरफ्तार किया गया था।

03. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि – फरियादी/ रिपोर्टकर्ता श्री रामदास बैगा (अ0सा0–3) द्वारा दिनांक 14–08–2019 को 16:42 बजे थाना सोहागपुर में उपस्थित होकर इस आशय का एक लिखित आवेदन प्र0पी0–6 प्रस्तुत किया गया कि वह गोहपारू का रहने वाला है और आटो चलाता है। उसकी पत्नी सुनीता बैगा गांव में ही उत्कर्ष माइक्रो फायनेंस समूह चलाती है तथा समूह का पैसा शहडोल उत्कर्ष माइक्रो फायनेंस में जमा करती है। उसकी पत्नी ने समूह के सदस्यों से पैसा इक्ठ्ठा कर कुल 17,550/– रूपये उसे दिनांक 09–08–19 को 03:00 बजे दिन में शहडोल बैंक में जमा करने के लिए दिया था जिसे लेकर वह अपने ऑटो से शहडोल आ रहा था। जब वह केरहाई गांव के आगे जंगल में पहुंचा तो उसकी ऑटो बंद हो गयी तब वह ऑटो को सड़क के किनारे लगाकर ऑटो को सुधारने लगा। उस समय अंधेरा होने लगा था तो वह ऑटो की लाईट जलाकर ऑटो बना रहा था तभी करीबन 7–8 बजे शाम को तीन लोग काले रंग की बजाज पल्सर मोटर साइकिल से आये और गाड़ी खड़ी कर उससे बीड़ी मांगे और तीनों ने बीड़ी पिया और उसके बाद दो लोग उसकी पैंट की दोनों जेब में रखा समूह का पैसा 17,550/– रूपये तथा उसका आधार कार्ड जबरदस्ती छीन कर तथा धमकी देकर अपनी मोटर साइकिल से शहडोल की तरफ भाग गये। मोटर साइकिल का नंबर वह नहीं देखा पाया। उसके पास दो हजार रूपये के एवं पांच सौ रूपये के, सौ रूपये के एवं पचास रूपये के नोट थे। इसके बाद उसने अपनी ऑटो वहीं छोड़कर अपने घर गया तथा अपनी पत्नी एवं समूह के सदस्यों को घटना के बारे में बतलाया। जिन लोगों ने उसका पैसा छीना था उसमें से एक दोहरार बदन, ठिगना कद, सांवले रंग का दाढ़ी रखे हुये तथा दूसरा इकहरा बदन, लंबा कद व तीसरा गोल चेहरा, इकहरा बदन का था। आरोपीगण के व्दारा धमकी दिये जाने से वह डर गया था। उक्त लिखित रिपोर्ट प्र0पी0–6 के आधार पर थाना सोहागपुर में अपराध क्रमांक 363/19 धारा 392 भा0दं0सं0 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0–7 अज्ञात आरोपी के विरूद्ध पंजीबद्ध की गयी।

04. साक्षी एस0के0तिवारी, उपनिरीक्षक (अ0सा0–10) द्वारा दिनांक 14.08.2019 को थाना सोहागपुर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्र0पी0–3 फरियादी रामदास के बताये अनुसार तैयार किया था तथा फरियादी रामदास बैगा कथन लेखबद्ध किया। दिनांक 15.08.2019 को ग्राम छतवई यात्री प्रतीक्षालय के पास गवाहों के समक्ष आरोपी सोनू उर्फ मिथलेश को अपनी अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ की गयी जिसमें आरोपी सोनू उर्फ मिथलेश सिंह द्वारा पांच–पांच हजार रूपये तीनों के द्वारा बांट लेने, पांच सौ रूपये मोटर साइकिल में पेट्रोल डलवाने तथा शराब पीने एवं आठ–नौ सौ रूपये खाना खाने में खर्च होने की बात बतायी है तथा बाकी बचा पैसा इक्तालीस रूपये अपनी जेब में रखे होने तथा चलकर बरामद करा देने की बात बतायी गयी।

आरोपी के द्वारा आधार कार्ड जितेन्द्र सिंह के पास होने की बात बतायी गयी जिस पर आरोपी का मेमोरण्डम कथन प्र0पी0–9 लेखबद्ध किया गया। तत्पश्चात् आरोपी सोनू उर्फ मिथलेश के द्वारा गवाहों के समक्ष दो हजार रूपये का एक नोट, पांच सौ रूपये के चार नोट एवं सौ रूपये का एक नोट कुल इक्तालीस रूपये नगद एवं मोटर साइकिल बजाज पल्सर क्रमांक एम0पी0–54 एम0ए0/9193 जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी0–12 तैयार किया गया।

05. इसी दिनांक को जितेन्द्र कुमार धुर्वे से गवाहों के समक्ष पूछताछ करने पर आरोपी के द्वारा शराब पीने, खाना खाने एवं मोटर साइकिल में पेट्रोल डलवाने में पच्चीस सौ पचास रूपये खर्च हो जाने तथा पांच–पांच हजार रूपये तीनों के द्वारा बांट लेने एवं उसमें से भी पांच सौ रूपये खर्च हो जाने तथा पैतालीस सौ रूपये एवं आधार कार्ड अपनी पैंट के पीछे की जेब में रखे होने एवं निकालकर बरामद करा देने की बात बतायी गयी जिस पर आरोपी का मेमोरण्डम बयान प्र0पी0–10 लेखबद्ध किया गया। आरोपी जीतेन्द्र द्वारा वहीं पर गवाहें के समक्ष पांच सौ रूपये के आठ नोट एवं सौ रूपये के पांच नोट, कुल पैंतालीस सौ रूपये तथा रामदास बैगा पिता दादूराम बैगा निवासी उमरिया के नाम का आधार कार्ड क्रमांक 483417904479 अपने पैंट के दाहिने जेब से निकालकर पेश करने पर जप्ती पत्रक प्र0पी0–13 के अनुसार जप्त किया गया।

06. इसके पश्चात् इसी दिनांक को इसी स्थान पर आरोपी रघुराज सिंह धुर्वे से गवाहों के समक्ष घटना के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी व्दारा शराब पीने एवं खाना खाने तथा मोटर साइकिल में पेट्रोल डलवाने के बाद बचे पैसों में से पांच–पांच हजार रूपये तीनों के द्वारा आपस में बांट लेने तथा उसमें से भी सात सौ रूपये खाने–पीने में खर्च हो जाने एवं शेष तिरालिस सौ रूपये पैंट की पीछे की जेब में रखे होने एवं निकालकर बरामद करा देने की बात बतायी गयी जिस पर आरोपी के द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर मेमोरण्डम कथन प्र0पी0–11 लेखबद्ध किया गया। आरोपी रघुराज द्वारा अपनी पैंट की पीछे की जेब से पांच सौ रूपये के आठ नोट एवं सौ रूपये के दो नोट एवं पचास रूपये के दो नोट, कुल तिरालीस सौ रूपये निकालकर देने पर उसे प्र0पी0–14 के जप्ती पत्र अनुसार जप्त किया गया।

07. आरोपीगण को गिरफ्तार गिरफ्तारी पंचनामा क्रमशः प्र0पी0–16, प्र0पी0–17 एवं प्र0पी0–18 के अनुसार गिरफ्तार किया गया। दिनांक 16.08.2019 को न्यायिक मजिस्ट्रेट शहडोल को पत्र प्र0पी0–20 लिखकर आरोपीगण की शिनाख्तगी कार्यवाही की अनुमति चाही गयी जिस पर न्यायालय द्वारा शिनाख्तगी कार्यवाही की अनुमति दी गयी थी। दिनांक 26.08.2019 को उत्कर्ष माइक्रो फायनेंस के प्रबंधक को पत्र लिखकर समूह के सदस्यों की सूची तथा सदस्यों द्वारा जमा राशि की जानकारी चाही गयी, जिसकी पावती प्र0पी0–21 है। आरोपीगण से जप्तशुदा आधार कार्ड आर्टिकिल–ए एवं जप्तशुदा कुल राशि 12,900/– रूपये आर्टिकिल–बी है।

08. दिनांक 16–08–2019 को श्री बी0आर0 नेताम (अ0सा0–3) नायब तहसीलदार द्वारा थाना सोहागपुर के अपराध क्रमांक 363/19 में आरोपीगण की

पहचान कराने बावत् जेल अधीक्षक तथा पीड़ित को प्र0पी0–4 का नोटिस जारी किया गया। दिनांक 20–08–2019 को जिला जेल शहडोल में आरोपी सोनू उर्फ मिथलेश सिंह तथा जितेन्द्र कुमार सिंह एवं रघुराज सिंह की पहचान पीड़ित से करायी गयी जिस पर पीड़ित द्वारा आरोपीगण के सिर पर हाथ रखकर उनकी पहचान की गयी तब पहचान पंचनामा प्र0पी0–5 तैयार किया गया जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

09. साक्षीगण के कथन लिए गए। अन्य विवेचना की पूर्ति उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध चालान अन्तर्गत् धारा 392 भा0दं0सं0 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल के समक्ष दिनांक 05–09–2019 को प्रस्तुत किया गया जहां से विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले को विधिवत् सत्र न्यायालय शहडोल को उपार्पित किया। फलतः यह प्रकरण विधिवत् निवर्तनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

10. आरोपीगण की ओर से अपने बचाव में साक्षी/आरोपी मिथलेश उर्फ सोनू (ब0सा0–1) का बयान न्यायालय में कराया गया है। उन्होंने अपने बचाव में कहा है कि वे गांव से अपनी बाईक से शहडोल आ रहे थे। मछली विभाग के पास पुलिस थाना सोहागपुर के पुलिस वालों ने उसे रोका और बिना हेलमेट के बाईक चलाने का चालान बनाया और उससे जुर्माने के रूप में 250/–रूपये वसूल किया जिसकी रसीद बुक क्रमांक 6011/44 है। पुलिस ने उसका मोबाईल फोन ले लिया था। उसी दिनांक को पुलिस ने उसे थाने में बलाया और थाने में बिठाये रखा। दो लड़कों को और थाने में पुलिस वाले लाये थे और पूरी रात बैठाये रखे और दूसरे दिन उन पर यह आरोप लगाते हुये कि उन्होंने लूट कारित की है, उनकी गिरफ्तारी सुमार कर न्यायालय में पेश कर दिया। वे लोग निर्दोष हैं। उन्हें झूठा फंसाया गया है।

11. उपरोक्त आरोप के संबंध में मामले में निम्नलिखित अवधारणीय बिन्दु हैं जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष अंकित तालिका में दर्ज किये जा रहे हैं –

क्रं.	**विचारणीय–प्रश्न**	**निष्कर्ष**
1.	क्या आरोपीगण ने दिनांक 09–08–2019 को समय लगभग शाम 7 से 8 बजे के बीच ग्राम केरहाई टोला जंगल में मेन रोड अंतर्गत थाना सोहागपुर में अपने सबके सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी रामदास उर्फ गुल्लू बैगा के पैंट की जेब में रखा 17,550/– रूपये, जो फरियादी की पत्नी द्वारा बैंक में जमा करने के लिये दिया गया था एवं फरियादी का आधार कार्ड, फरियादी को धमकी देकर जबरदस्ती छीनकर लूट कारित की?	**''प्रमाणित''**

<u>निष्कर्ष एवं उसके आधार</u>

12. इस प्रकरण के तथ्य, परिस्थिति तथा साक्ष्य की विवेचना के पूर्व मैं माननीय उच्च न्यायालय के उस न्याय दृष्टांत का उल्लेख करना उचित समझता हूं जिसमें अपराध विधि शास्त्र के तीन प्रमुख सिद्धांतों को बताया गया है। माननीय न्यायालय ने **<u>थावरिया बनाम म0प्र0 राज्य 2004 (4) एम.पी.एल.जे.–442</u>** में प्रतिपादित किया है कि :–

(क) अभियोजन को आरोपी के विरूद्ध अपने मामले को संदेहातीत रूप में प्रमाणित करना चाहिए।

(ख) अभियोजन को अपने पैर पर खड़े होकर अपने मामले को प्रमाणित करना चाहिए।

(ग) यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दो विचार संभव हों तो जो विचार आरोपी के पक्ष का हो, उसे विचार में लेना चाहिए।

''<u>अवधारणीय बिन्दु कमांक–1 की विवेचना</u>''

13. **अवधारणीय बिन्दु कमांक–1 में वर्णित अपराध को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन को निम्नलिखित आवश्यक तत्व प्रमाणित करने होंगे –**

{क} क्या आरोपीगण ने घटना, दिनांक, समय पर फरियादी की पैंट में रखा हुआ 17,550/–रूपया एवं उसके आधार कार्ड की लूट की?

{ख} क्या आरोपीगण ने उक्त कार्य अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में किया?

14. चूंकि उक्त दोनों उप–अवधारणीय बिन्दु एक–दूसरे से सह–संबंधित हैं, इसलिए उनका एक साथ विचारण किया जा रहा है।

15. **सर्वप्रथम यह देखा जा रहा हे कि क्या आरोपीगण ने ही पीड़ित के साथ लूट की है?**

16. अभियोजन की ओर से पीड़ित श्री रामदास बैगा का कथन अभियोजन साक्षी कमांक–3 के रूप में कराया गया है। इस साक्षी ने अपने न्यायालयीन बयान में बताया है कि न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण सोनू उर्फ मिथलेश, रघुराज सिंह एवं जीतेन्द्र सिंह को जानता है। वह ऑटो चलाने का काम करता है। घटना लगभग दो साल पहले की नरवार रोड के बगल में ललमटिया जंगल की है। सुनीता बैगा उसकी पत्नी है जो कि उत्कर्ष समूह का संचालन करती है। समूह में इकठ्ठा पैसा 17,550/–रूपये उसकी पत्नी सुनीता एवं बाबूलाल साहू ने उसे शहडोल बैंक में जमा करने के लिए दिया था। वह बरकोड़ा उमरिया से शहडोल आ रहा था तो ललमटिया जंगल में उसका ऑटो बिगड़ गया था। उसे ऑटो बनाते–बनाते शाम के 7–8 बज गये थे। उसी समय आरोपीगण वहां पर आये और उससे बीड़ी मांगे। उसने कहा कि बीड़ी नहीं है, इस पर तीनों आरोपीगण उसकी जेब से 17,550/–रूपये को छीनकर ले गये। आरोपीगण ने उसका उसका आधार कार्ड भी छीन लिया था। तीनों आरोपीगण पल्सर

मोटर साइकल में आये थे। आरोपीगण उसका पैसा छीनकर शहडोल तरफ भाग गये थे।

17. आगे साक्षी बताता है कि घटना के बाद वह घर गया और वहां पर राजकुमार को घटना के बारे में बताया। फिर घटना की लिखित रिपोर्ट थाना सोहागपुर में दिया था जो प्र0पी0–6 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसकी लिखित रिपोर्ट के आधार पर थाना सोहागपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी जो प्र0पी0–7 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपीगण की पहचान कार्यवाही तहसीलदार ने जेल शहडोल में कराया था तब उसने आरोपीगण को पहचान लिया था। पहचान पत्र प्र0पी0–5 है जिसके एफ से एफ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

18. अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–7 में साक्षी कहता है कि वह ऑटो से आ रहा था। ऑटो में और सवारियां थीं। स्वतः कहता है कि जब ऑटो बिगड़ गया तब सवारी चली गई थी। यह सही है कि उसके पास ऑटो का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र और ड्राईविंग लाइसेंस है। प्रतिपरीक्षण के पैरा–8 में साक्षी कहता है कि घटना के समय बरसात का मौसम था। यह भी सही है कि घटना के समय हल्की बूंदा–बांदी हो रही थी। वह गाड़ी नहीं बना पाया था। वह गाड़ी खोलकर बना रहा था तभी शाम के 7–8 बजे के आसपास घटना हो गई थी। घटना स्थल पर जब हल्की बूंदा–बांदी हो रही थी उसी समय तीन लोग मौके पर पहुंचे थे। उसने अपने पैंट के बायें तरफ जेब में पैसा रखा था। तीनों में से एक ने उसके जेब में हाथ डालकर पैसा निकाल लिया था। आगे साक्षी ने आरोपीगण को देखकर बताया कि न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण ही मौके पर आकर उसके जेब से पैसा निकाले थे। प्रतिपरीक्षण के पैरा–9 में साक्षी इस बात को स्वीकार करता है कि यह सही है कि वह तीनों आरोपियों का नाम नहीं जानता, लेकिन चेहरे से पहचानता है। यह सही है कि घटना दिनांक के पहले न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण को कभी नहीं देखा था। यह सही है कि घटना दिनांक के पहले वह आरोपीगण को न तो चेहरे से जानता था और न ही नाम से जानता था।

19. आगे साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–10 में बताता है कि उससे बीड़ी न्यायालय के कठघरे में खड़े बीच वाले आरोपी ने मांगा था। इस बात को अस्वीकार किया है कि यह कहना गलत है कि घटना के समय उसके जेब में कोई पैसा नहीं था। यह कहना भी गलत है कि उससे कोई लूट नहीं हुई थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा–15 में साक्षी कहता है कि वह आज नहीं बता सकता कि 17,550/–रूपये में कितना पैसा उसे बाबूलाल ने दिया था और कितना उसकी पत्नी ने दिया था? साक्षी स्वतः कथन में बताता है कि दोनों ने मिलाकर उसे पैसा दिया था। इस बात को अस्वीकार किया है कि यह कहना गलत है कि बाबूलाल ने उसे कोई पैसा नहीं दिया था। आगे साक्षी कहता है कि पुलिस ने घटना के बाद उसे पुलिस ने थाने पर बुलाया था। प्रतिपरीक्षण के पैरा–16 में साक्षी इस बात को अस्वीकार किया है कि यह कहना गलत है कि पुलिस वाले उसे जेल ले गये थे। साक्षी स्वतः कथन करता है कि तहसीलदार उसे जेल ले गये थे। तहसीलदार साहब उसे जेल में मिले थे। वह जेल में पहचान कार्यवाही के लिए दिन के लगभग 1.00–1.30 बजे गया था। यह कहना गलत है कि

पहचान कार्यवाही के समय पुलिस वाले मौजूद थे। साक्षी स्वतः कथन करता है कि जेल के बाहर पुलिस वाले थे। पहचान कार्यवाही जेल के अंदर हुई थी। यह कहना गलत है कि पहचान कार्यवाही के समय मात्र तीनों आरोपी ही खड़े थे। साक्षी ने स्वतः कथन में बताया है कि 15–17 लोग खड़े थे। आगे साक्षी इस बात को भी अस्वीकार करता है कि यह कहना गलत है कि सभी लोग खुले खड़े थे। साक्षी स्वतः कथन करता है कि गर्दन तक कंबल से ढके हुये थे। यह कहना गलत है कि वहां पर खड़े लोगों को गर्दन तक कंबल से नहीं ढका गया था।

20. आगे साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–17 में बताया है कि उसने सबसे पहले न्यायालय के कठघरे में खड़े टीपी वाले को पहचाना था, फिर उसने दूसरे किनारे वाले को पहचाना था, फिर बीच वाले को पहचाना था। यह सही है कि पहचान कार्यवाही केवल एक बार करवाई गई थी। पहचान कार्यवाही के बावत् लिखापढ़ी तहसीलदार साहब ने किया था। यह कहना गलत है कि उसने आरोपीगण को थाने में देख लिया था, इसलिए उन्हें जेल में पहचान लिया था। यह कहना गलत है कि जब थाने में गया था तो आरोपीगण उसे वहां मिले थे। न्यायालय व्दारा प्रश्न किये जाने पर कि पहले आपने कहा कि जब वह थाने गया था तो तीनों आरोपीगण उसे वहां मिले थे और फिर कह रहे हो कि तीनों आरोपीगण थाने में नहीं मिले थे, दोनों में से कौन सी बात सही है? इस पर साक्षी उत्तर देता है कि आरोपीगण को थाने में नहीं देखा था, यह बात सही है। अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–18 में साक्षी इस बात को अस्वीकार करता है कि यह कहना गलत है कि जेल में कोई भी पहचान कार्यवाही नहीं करायी गई थी। यह कहना गलत है कि उसकी पत्नी ने उसे जो पैसा दिया था उसको उसने कहीं गुमा दिया था। यह कहना भी गलत है कि उसने झूठी कहानी बना दी कि आरोपीगण ने उसका पैसा लूट लिया है। आगे साक्षी इस बात को भी अस्वीकार करता है कि यह कहना गलत है कि राजकुमार के समझाने पर रिपोर्ट करने थाने गया था। स्वतः कथन करता है कि घटना हुई थी, इसलिए वह स्वयं रिपोर्ट करने गया था। उसने अपनी रिपोर्ट एवं बयान में यह नहीं लिखाया था कि राजकुमार के समझाने पर रिपोर्ट लिखाने आया है। उक्त बात कैसे लिखी है? वह उसका कारण नहीं बता सकता, लेकिन लिखित रिपोर्ट प्र0पी0–6 में यह बात लिखी है कि आरोपीगण की धमकी से वह डर गया था तो समूह के सदस्य एवं राजकुमार के समझाने के बाद रिपोर्ट किया था।

21. इस प्रकार जब इस साक्षी के सम्पूर्ण न्यायालयीन बयान का समग्र रूप से अवलोकन किया गया तो यह पाया जाता है कि यह साक्षी अपने व्दारा मुख्य परीक्षण में बतायी गई बातों पर प्रतिपरीक्षण में कहीं भी खंडित नहीं हुआ है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे उसके कथन पर अविश्वास किया जा सके। साक्षी के द्वारा बिल्कुल स्वाभाविक रूप से कथन किया गया है जो विश्वास के काबिल है। साक्षी के द्वारा आरोपीगण की पहचान भी विधिवत् रूप से जिला जेल शहडोल में एवं न्यायालय में बयान के दौरान की गई है और इन्हीं आरोपीगण के द्वारा लूट की घटना कारित किया जाना बतलाया गया है। बचाव पक्ष की ओर से साक्षी से

विस्तृत रूप से प्रतिपरीक्षण किया गया है तथा सभी बिन्दुओं पर उसे सुझाव दिये गये हैं, लेकिन साक्षी अपने कथन पर प्रतिपरीक्षण में अडिग रहा है, कहीं विचलित नहीं हुआ है। अतः इस साक्षी के कथन पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है।

22. बचाव पक्ष की ओर से यह आधार लिया गया है कि घटना शाम के 7–8 बजे के आसपास की है और उस समय अंधेरा हो गया था जिस कारण से पीड़ित, आरोपीगण को देख नहीं पाया था, इस कारण आरोपीगण की सही पहचान स्थापित नहीं है, लेकिन साक्षी ने आरोपीगण की सही पहचान जिला जेल शहडोल में की है तथा बाद में न्यायालय के समक्ष भी पीड़ित ने आरोपीगण को पहचाना है और अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–9 में साक्षी कहता है कि घटना के समय कठघरे में खड़ा आरोपी टोपी वाला अपना मुंह ढके हुये था और दो लोग मुंह नहीं ढके थे। टोपी वाले का नाम नहीं जानता, लेकिन चेहरे से पहचानता है। न्यायालय द्वारा पूछने पर टोपी वाले आरोपी ने अपना नाम रघुराज बताया। इस बात को स्वीकार करता है कि यह सही है कि वह तीनों आरोपियों का नाम नहीं जानता, लेकिन चेहरे से पहचानता है। इस प्रकार पीड़ित ने आरोपीगण की सही–सही पहचान जेल शहडोल एवं तत्पश्चात् न्यायालय में बयान के दौरान किया है। अतः यह नहीं माना जा सकता कि घटना के समय अंधेरा होने के कारण पीड़ित आरोपीगण को नहीं देखा था और बाद में उनकी सही पहचान नहीं कर पाया था।

23. बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि पीड़ित व्दारा अत्यधिक बिलंब से घटना के 5–6 दिन बाद घटना की रिपोर्ट की गई है तथा बाद में सोच–विचारकर पुलिस से मिलकर आरोपीगण को झूठा फंसा दिया गया है। बिलंब का कोई समुचित कारण नहीं बताया गया है। अतः उक्त आधार पर आरोपीगण दोषमुक्ति के पात्र हैं।

24. अभियोजन की ओर से उक्त बात का विरोध किया गया है और यह तर्क किया गया है, कि मात्र बिलंब से रिपोर्ट किये जाने के आधार पर ही मामले को अप्रमाणित नहीं माना जा सकता, जबकि साक्षी के द्वारा बिलंब का समुचित कारण बताया गया है।

25. उक्त तर्क के दृष्टिकोंण से मामले का अवलोकन किया गया।

26. यह बात सही है कि घटना दिनांक 09–08–2019 को घटित हुई है जिसकी रिपोर्ट दिनांक 14–08–2019 को दर्ज की गई है। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0–7 पीड़ित के द्वारा प्रस्तुत की गई लिखित रिपोर्ट प्र0पी0–6 के आधार पर दर्ज की गई है। साक्षी रामदास बैगा (अ0सा0–3) ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान बयान के पैरा–4 में कहता है कि घटना के दूसरे दिन रिपोर्ट लिखवाई गई थी। ऐसा नहीं है कि घटना के 5–6 दिन बाद उसने रिपोर्ट किया था। यह कहना गलत है कि उसने दूसरे दिन जाकर थाने में रिपोर्ट नहीं किया था।

27. पीड़ित के साथ घटना दिनांक 09–08–2019 को शाम के 7–8 बजे के आसपास घटित हुई है जिसकी लिखित रिपोर्ट साक्षी द्वारा दिनांक 14–08–2019 को थाना सोहागपुर में प्रस्तुत की गई है। लिखित रिपोर्ट प्र0पी0–6 में यह लिखा गया है

कि आरोपीगण की धमकी देने से वह डर गया था। समूह के सदस्य व राजकुमार कोल के समझाने के बाद दिनांक 14–08–2019 को राजकुमार कोल के साथ थाना रिपोर्ट करने गया। यह बात स्वाभाविक है कि जब किसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार की लूट की घटना कारित होती है तो उसके मन में एक डर बैठ जाता है और वह व्यक्ति मन मस्तिष्क से यह सोच नहीं पाता कि क्या कार्यवाही की जाए? यही इस साक्षी के साथ भी हुआ है। उसके साथ लूट की घटना कारित होने के बाद वह अपने घर चला गया और समूह के लोगों एवं अन्य लोगों को घटना के बारे में बताया और बाद में उनके समझाने पर वह रिपोर्ट करने आया। पीड़ित ने अपने बयान में बताया है कि वह घटना के पहले आरोपीगण को पहचानता नहीं था। अतः आरोपीगण से उसकी कोई पूर्व की रंजिश भी प्रमाणित नहीं है। अतः यह नहीं माना जा सकता कि पीड़ित के द्वारा घटना के बाद सोच–विचारकर पुलिस से मिलकर आरोपीगण को फंसाने के लिए उनके विरूद्ध झूठी रिपोर्ट की गई है।

28. श्री रामराज पाण्डेय (अ0सा0–9) ने अपने न्यायालयीन बयान में बताया है कि दिनांक 14–08–2019 को वे थाना सोहागपुर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को रामदास उर्फ गुल्लू बैगा पिता दादूराम बैगा उम्र 29 वर्ष निवासी उमरिया व्दारा एक लिखित आवेदन पत्र थाना सोहागपुर में प्रस्तुत किया गया था जिसमें फरियादी का पैसा एवं आधार कार्ड छीन लेने के संबंध में बात लिखी थी। उक्त आवेदन पत्र के आधार पर उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी जो प्र0पी0–7 है जिसके बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के दौरान अपने बयान के पैरा–2 में साक्षी कथन करता है कि यह सही है कि फरियादी रिपोर्ट करने के लिए दिनांक 14–08–2019 को थाना आया था। उसने रिपोर्ट बिलंब से कराने के संबंध में फरियादी से पूछताछ की थी तो उसने बतया था कि उसे आरोपीगण ने धमकी दी थी जिस डर के कारण वह बिलंब से रिपोर्ट करने आया है। इस प्रकार इस साक्षी के कथन से भी बिलंब से रिपोर्ट करने का जो कारण दर्शाया गया है, वह उचित प्रतीत होता है।

29. पीड़ित ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है और ग्रामीण परिवेश के व्यक्तियों में पुलिस के पास जाने में उनके मन में डर रहता है। इस प्रकार पीड़ित द्वारा जो बिलंब से रिपोर्ट लिखाई गई है, उसका समुचित स्पष्टीकरण साक्षी के व्दारा बताया गया है जो सद्भाविक प्रतीत होता है और मात्र उक्त आधार पर ही आरोपीगण को दोषमुक्त किया जाना उचित नहीं है। फलतः आरोपीगण की ओर से लिया गया बचाव गुणता विहीन होने से निरस्त किया जाता है।

30. इस प्रकार यह साक्षी अपने कथन पर पूर्णतः विश्वसनीय साबित हुआ है और उसके कथनों पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण दर्शित नहीं होता है।

31. अभियोजन की ओर से आरोपीगण की पहचान कार्यवाही निष्पादित कराने वाले साक्षी श्री बी0आर0 नेताम (अ0सा0–2) का कथन कराया गया है। साक्षी ने अपने न्यायालयीन बयान में बताया है कि दिनांक 16–08–2019 को वे तहसील सोहागपुर में नायब तहसीलदार एवं कार्यपालन दण्डाधिकारी के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को

उनके द्वारा थाना सोहागपुर के अपराध क्रमांक 363/19 में आरोपीगण की पहचान बावत् जेल अधीक्षक तथा संबंधित को नोटिस जारी की गई थी जो प्र0पी0–4 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। इसके बाद दिनांक 20–08–2019 को जिला जेल शहडोल में आरोपी सोनू उर्फ मिथलेश सिंह, जीतेन्द्र कुमार सिंह तथा रघुराज सिंह की पहचान उनसे मिलते–जुलते 12 लोगों को खड़ा करके तथा आरोपीगण का स्थान बदलकर पीड़ित रामदास से कराया था। फरियादी ने आरोपीगण की पहचान उनके सिर में हाथ रखकर किया था। इस संबंध में उनके व्दारा पहचान पंचनामा प्र0पी0–5 तैयार किया गया था जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं तथा बी से बी भाग पर जेल अधीक्षक तथा सी से सी, डी से डी व ई से ई भाग पर आरोपीगण के हस्ताक्षर हैं।

32. प्रतिपरीक्षण के दौरान बयान के पैरा–2 में साक्षी कथन करता है कि जब वह जेल परिसर में गया तब आरोपीगण परेड में खड़े थे। इस बात को अस्वीकार किया है कि यह कहना गलत है कि वहीं पर फरियादी भी खड़ा था। पहचान कार्यवाही के पूर्व आरोपीगण एवं फरियादी से कोई पूछताछ नहीं किया था। प्रतिपरीक्षण के पैरा–3 में इस बात को स्वीकार करता है कि यह सही है कि प्र0पी0–5 में इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि आरोपीगण को किस क्रम में खड़ा किया गया था। पहचान पंचनामा प्र0पी0–5 का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि इस प्रकरण के आरोपीगण के साथ अन्य 12 व्यक्तियों को पहचान के समय खड़ा किया गया था जिनका विधिवत् नाम इस साक्षी द्वारा पहचान पंचनामा में लेख किया गया है। किस आरोपी को किस क्रम में खड़ा किया गया, यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस प्रकरण के आरोपीगण को अन्य व्यक्तियों के साथ मिलाकर खड़ा किया गया था। इसी पैरा आगे साक्षी कहता है कि फरियादी ने आरोपीगण को एक ही बार में पहचान लिया था। फरियादी ने आरोपीगण के सामने से उनके सिर में हाथ रखा था। यह सही है कि आरोपीगण के चेहरे या शरीर के भाग में कोई विशेष चिन्ह मौजूद नहीं थे। यह कहना गलत है कि उसने आरोपीगण की कोई पहचान की कार्यवाही नहीं करवाया था। इस प्रकार इस साक्षी ने अपने व्दारा करायी गई पहचान कार्यवाही का विधिवत् समर्थन किया है। अतः इस साक्षी के कथन से भी आरोपीगण की पहचान कार्यवाही विधिवत् रूप से प्रमाणित पायी जाती है।

33. श्रीमती सुनीता बैगा (अ0सा0–5) ने अपने न्यायालयीन बयान में बताया है कि वह उत्कर्ष माइक्रो फायनेंस समूह चलाती है। उसके समूह में 28 महिला सदस्य हैं। समूह की सदस्य उसके पास पैसा इकठ्ठा करती हैं। पैसा इकठ्ठा होने के बाद महीने में दो बार शहडोल बैंक में पैसा जमा कराती है। उसने अपने पति रामदास बैगा को 17,550/–रूपये बैंक में जमा करने के लिए दिया था तब उसका पति शहडोल बैंक में पैसा जमा करने के लिए 1.30–2.00 बजे के लगभग गांव से अपनी ऑटो से आया था। उसके पति ने उसे बताया था कि जब उसकी ऑटो बिगड़ गई थी तो वह उसे बना रहा था तभी तीन लोग मोटर साइकल से आये और उन्होंने उसके पति से बीड़ी मांगा। फिर इसके बाद बाईक में आए एक व्यक्ति ने उसके पति के जेब में हाथ डालकर तथा

दूसरे ने पकड़कर उसके पति के जेब से पैसा और आधार कार्ड निकाल लिया जो पैसा उसने बैंक में जमा करने के लिए दिया था। इस प्रकार यह साक्षी घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न होकर घटना के बाद उसके पति द्वारा जानकारी दिये जाने पर घटना के बारे में बतायी है।

34. अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान बयान के पैरा–6 में न्यायालय व्दारा पूछे जाने पर साक्षी कथन करती है कि उसने अपने पति को कुल 17,550/–रूपये जमा करने के लिए दिया था। इस बात को अस्वीकार किया है कि यह कहना गलत है कि संबंधित राशि का गबन उसने एवं उसके पति ने कर लिया है और झूठा केस बना दिया हैं यह कहना गलत है कि उसके पति ने उसे घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा घटना के बावत् पीड़ित के द्वारा बतायी गई बातों का समर्थन किया गया है।

35. श्री राजकुमार कोल (अ0सा0–6) ने अपने न्यायालयीन बयान में बताया है कि उसकी पत्नी का नाम गुड़िया कोल है जो उत्कर्ष समूह की सदस्य है। घटना किस दिनांक की है? उसे जानकारी नहीं है। रामदास बैगा ने उसे दूसरे दिन जाकर गांव में बताया था कि वह समूह का पैसा जो जमा हुआ था, उसे लेकर शहडोल बैंक में जमा करने के लिए ऑटो से जा रहा था तो उसका ऑटो बिगड़ गया था। रामदास ने उससे बताया था कि जहां पर उसका ऑटो बिगड़ा था वहां पर तीन लोग आये और उसके साथ लूट–पाट किये थे। उसने यह भी बताया था कि उसके पास समूह का पैसा बैंक में जमा करने लिए कुल 17,550/–रूपये रखा था उसकी लूट किये थे। इसके बाद वह रामदास के साथ रिपोर्ट करने थाना सोहागपुर गया था। प्रतिपरीक्षण के पैरा–2 में साक्षी इस बात को स्वीकार करता है कि यह सही है कि घटना की रात रामदास ने उसे घटना के बारे में कुछ नहीं बताया था। यह कहना सही है कि रामदास ने घटना के बारे में उसे गांव में स्थित मोतीलाल की दुकान के पास बताया था। जब उसने घटना के बारे में बताया तब वहां पर 15–20 लोग थे। इस बात को अस्वीकार किया है कि रामदास ने घटना के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। इस प्रकार यह साक्षी अनुश्रुत साक्षी है और इस साक्षी को घटना के दूसरे दिन रामदास के बताये अनुसार घटना की जानकारी होना बतलाया है। इस प्रकार यह साक्षी भी घटना का तो प्रत्य क्षदर्शी साक्षी नहीं है, लेकिन इसके द्वारा पीड़ित के द्वारा बतायी गई बातों का समर्थन किया गया है।

36. श्रीमती गोल्ली बाई (अ0सा0–7) ने अपने न्यायालयीन बयान में बताया है कि वह समूह की सदस्य है और सुनीता बैगा के पास समूह का पैसा जमा करती थी जिसे वह शहडोल में जमा करती थी। उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा मात्र यह कथन किया गया है कि वह समूह की सदस्य है और वह सुनीता बैगा के पास पैसा जमा करती थी जिसे सुनीता लाकर शहडोल बैंक में जमा करती थी। इस साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गये हैं, लेकिन साक्षी ने घटना के बावत् अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है। साक्षी के द्वारा पुलिस बयान प्र0पी0–15 का ए से ए भाग ''28 महिला

सदस्य– – – –लूट हो गई है।'' की इबारत पुलिस को नहीं देना बतलाया है। इस प्रकार इस साक्षी के कथन से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

37. श्रीमती गुड़िया कोल (अ0सा0–8) ने अपने न्यायालयीन बयान में बताया है कि वह आरोपीगण को नहीं पहचानती है। वह महिला समूह की सदस्य है एवं सुनीता बैगा के पास समूह का पैसा जमा करती थी। घटना के बाद रामदास ने गांव जाकर बताया था कि पैसे की चोरी हो गई है। पैसा किसने चुराया था? उसे जानकारी नहीं है। उसे यह भी जानकारी नहीं है कि कितने पैसे की चोरी हुई? इस साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गये हैं। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान बयान के पैरा–2 में इस बात को स्वीकार किया है कि यह कहना सही है कि दिनांक 09–08–2019 को उस समूह के महिला सदस्यों ने 17,550/–रूपये इकठ्ठा करके सुनीता बैगा के पास जमा किया था। यह सही है कि उसी दिनांक को सुनीता बैगा का पति उक्त राशि को जमा करने के लिए शहडोल गया था। यह सही है कि उसे दूसरे दिन पता चला था कि रामदास से रास्ते में तीन लोग उक्त राशि को छीन लिये हैं, लेकिन बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण किये जाने बयान के पैरा–3 में इस बात को स्वीकार करती है कि यह सही है कि उक्त राशि को रामदास से किसने छीना था? उसे इस बात की जानकारी नहीं है। यह सही है कि वह अपनी आंख से कोई घटना नहीं देखी थी। वह सुनी–सुनाई बात बता रही है।

38. इस प्रकार यह साक्षी घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी तो नहीं है, लेकिन इसके द्वारा पीड़ित के साथ लूट की घटना कारित होने के तथ्य का समर्थन किया गया है। यह साक्षी भी समूह की सदस्य है और इसके द्वारा भी समूह का पैसा सुनीता बैगा के पास जमा किया गया था। बयान के पैरा–2 में साक्षी इस बात को स्वीकार करती है कि यह सही है कि दिनांक 09–08–2019 को सुनीता बैगा का पति 17,550/–रूपये लेकर जमा करने शहडोल आया था। यह भी सही है कि उसे दूसरे दिन पता चला था कि रामदास से रास्ते में तीन लोग उक्त राशि को छीन लिये हैं। इस प्रकार यह साक्षी घटना की अनुश्रुत साक्षी तो है, लेकिन इसके व्दारा अभियोजन घटना की पुष्टि की गई है।

39. श्री अंकित सोनी (अ0सा0–1) ने अपने न्यायालयीन बयान में बताया है कि वह माइक्रो उत्कर्ष बैंक शहडोल में कार्य करता था और बैंक में कैसियर के पद पद पर पदस्थ है। उसने उत्कर्ष बैंक के ऋणी सदस्यों की सूची पुलिस के मांगने पर उपलब्ध कराया था जो प्रकरण में संलग्न है जो प्र0पी0–1 व प्र0पी0–2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्र0पी0–1 एवं प्र0पी0–2 की सूची जो कि अभिलेख पर संलग्न है, का भी अवलोकन किया गया जिससे यह पाया जाता है कि उक्त सूची प्र0पी0–1 उत्कर्ष स्मॉल फायनेंस बैंक से जारी की गई है जिसमें क्रमांक–3 पर सुनीता बैगा का नाम दर्ज है तथा इसी प्रकार प्र0पी0–2 की सूची में क्रमांक–4 पर गुड़िया बैगा एवं क्रमांक–11 पर गोली बैगा का नाम दर्ज है। श्रीमती सुनीता बैगा, पीड़ित श्री रामदास बैगा की पत्नी है तथा श्रीमती गुड़िया बैगा एवं गोली बैगा का कथन

अभियोजन की ओर से कराया गया है जिनके द्वारा अपने को समूह का सदस्य होना और राशि सुनीता बैगा के पास जमा किया जाना बतलाया गया है। इस प्रकार उक्त दस्तावेजों से यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि सुनीता बैगा एवं अन्य महिलाओं के द्वारा उत्कर्ष फायनेंस बैंक में राशि जमा की जाती थी।

40. जहां तक आरोपी सोनू उर्फ मिथलेश के द्वारा प्रस्तुत बचाव का प्रश्न है? उसके द्वारा अपने बचाव में कथन किया गया है कि वह अपने गांव से बाईक से शहडोल आया था और अपने घर जा रहा था तो मछली विभाग के पास पुलिस थाना सोहागपुर के पुलिस वालों ने उसे रोका और बिना हेलमेट के बाईक चलाने का चालान बनाया और उससे जुर्माना के रूप में 250/–रूपये वसूल किया जिसकी रसीद बुक क्रमांक 60/44 है। पुलिस ने उसका मोबाईल नंबर भी लिया था। उसी दिनांक को 3.00 बजे पुलिस ने उसे थाने में बुलाया था। वहां पर पुलिस ने पूरी रात उसे बैठाया था। पुलिस वाले दो और लड़कों को थाने लेकर आये थे। दूसरे दिन पुलिस वालों ने लूट की घटना लगाकर उन लोगों की गिरफ्तार सुमार करके कोर्ट में पेश कर दिये। उनका इस घटना से कोई लेना–देना नहीं है। जुर्माने की रसीद प्र0डी0–4 है।

41. अभियोजन की ओर से प्रतिपरीक्षण किये जाने पर साक्षी/आरोपी ने अपने बयान के पैरा–3 में इस बात को स्वीकार किया है कि यह सही है कि मामले का घटना दिनांक 09–08–2019 है। यह सही है कि प्र0डी0–4 की रसीद उसे दिनांक 13–08–2019 को दी गई थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा–5 में कथन करता है कि जब से इस मामले में जमानत पर आया है तब से आज तक किसी भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के पास न तो शिकायत किया और न ही न्यायालय में परिवाद ही दायर किया कि उसे असत्य मामले में फंसा दिया गया है।

42. मामले का अवलोकन किया गया। वास्तविक बचाव वह होता है जो कि आरोप के समय बताया जाए, अभियोजन साक्षियों के प्रतिपरीक्षण के दौरान सुझावात्मक प्रश्न के रूप में रखा जाए और आरोपी परीक्षण में उसे बताया जाए, लेकिन इस मामले में जो प्रस्तावित बचाव संबंधित साक्षी ने दिया है, उसे न तो आरोप के समय बताया गया और न ही अभियोजन साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में ही सुझावात्मक प्रश्न के रूप में रखा गया और न ही आरोपी परीक्षण में ही बताया गया। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि संबंधित प्रतिरक्षा आनन–फानन में तैयार की गई है और वह विश्वास के काबिल नहीं है। अतः आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत बचाव से आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

43. उपर की गई विवेचना में पीड़ित श्री रामदास बैगा के कथन से यह तथ्य प्रमाणित पाया गया है कि आरोपीगण ने उसके साथ लूट कारित कर पीड़ित के जेब में रखे 17,550/–रूपये एवं उसके आधार कार्ड की लूट कारित की थी जिसका शेष साक्षियों के द्वारा भी समर्थन किया गया है। अतः अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य से आरोपीगण के द्वारा पीड़ित के साथ लूट की घटना कारित किया जाना प्रमाणित पाया जाता है।

44. **अब आरोपीगण के मेमोरेण्डम एवं जप्ती के बावत् देख लिया**

जावे।

45. श्री एस0के0 तिवारी (अ0सा0–10) ने अपने न्यायालयीन बयान में बताया है कि दिनांक 14–08–2019 को थाना सोहागपुर में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 363/19 धारा 302 भा0दं0सं0 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना स्थल पहुंचकर गवाहों के बताये अनुसार घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया था तथा फरियादी रामदास बैगा का पुलिस बयान प्र0डी0–1 एवं राजकुमार कोल का पुलिस बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था।

46. दिनांक 15–08–2019 को ग्राम छतवई यात्री प्रतिक्षालय के पास गवाहों के समक्ष आरोपी सोनू उर्फ मिथलेश को अपनी अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ की गयी जिसमें आरोपी सोनू उर्फ मिथलेश सिंह द्वारा पांच–पांच हजार रूपये तीनों के द्व ारा बांट लेने, पांच सौ रूपये मोटर साइकिल में पेट्रोल डलवाने तथा शराब पीने एवं आठ–नौ सौ रूपये खाना खाने में खर्च होने की बात बतायी है तथा बाकी बचा पैसा इक्तालीस सौ रूपये अपनी जेब में रखे होने तथा बरामद करा देने की बात बतायी गयी। आरोपी के द्वारा आधार कार्ड जितेन्द्र सिंह के पास होने की बात बतायी गयी जिस पर आरोपी का मेमोरण्डम कथन प्र0पी0–9 लेखबद्ध किया गया। तत्पश्चात् आरोपी सोनू उर्फ मिथलेश के द्वारा गवाहों के समक्ष दो हजार रूपये का एक नोट, पांच सौ रूपये के चार नोट एवं सौ रूपये का एक नोट कुल इक्तालीस सौ रूपये नगद एवं मोटर साइकिल बजाज पल्सर क्रमांक एम0पी0–54 एम0ए0/9193 जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी0–12 तैयार किया गया।

47. आगे साक्षी ने बताया है कि इसी दिनांक को आरोपी जितेन्द्र कुमार धुर्वे से गवाहों के समक्ष पूछताछ करने पर आरोपी के द्वारा शराब पीने, खाना खाने एवं मोटर साइकिल में पेट्रोल डलवाने में पच्चीस सौ पचास रूपये खर्च हो जाने तथा पांच–पांच हजार रूपये तीनों के द्वारा बांट लेने एवं उसमें से भी पांच सौ रूपये खर्च हो जाने तथा पैतालीस सौ रूपये एवं आधार कार्ड अपनी पैंट के पीछे की जेब में रखे होने एवं निकालकर बरामद करा देने की बात बतायी गयी जिस पर आरोपी का मेमोरण्डम बयान प्र0पी0–10 लेखबद्ध किया गया। आरोपी जीतेन्द्र द्वारा वहीं पर गवाहों के समक्ष पांच सौ रूपये के आठ नोट एवं सौ रूपये के पांच नोट, कुल पैंतालीस सौ रूपये तथा रामदास बैगा पिता दादूराम बैगा निवासी उमरिया के नाम का आधार कार्ड क्रमांक 483417904479 अपने पैंट के दाहिने जेब से निकालकर पेश करने पर जप्ती पत्रक प्र0पी0–13 के अनुसार जप्त किया गया।

48. आगे साक्षी ने बताया है कि इसी दिनांक को इसी स्थान पर आरोपी रघुराज सिंह धुर्वे से गवाहों के समक्ष घटना के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी व्दारा शराब पीने एवं खाना खाने तथा मोटर साइकिल में पेट्रोल डलवाने के बाद बचे पैसों में से पांच–पांच हजार रूपये तीनों के द्वारा आपस में बांट लेने तथा उसमें से भी सात सौ रूपये खाने–पीने में खर्च हो जाने एवं शेष तिरालिस सौ रूपये पैंट की पीछे की जेब में रखे होने एवं निकालकर बरामद करा देने की बात बतायी गयी जिस पर आरोपी के द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर मेमोरण्डम कथन प्र0पी0–11 लेखबद्ध

किया गया। आरोपी रघुराज द्वारा अपनी पैंट की पीछे की जेब से पांच सौ रूपये के आठ नोट एवं सौ रूपये के दो नोट एवं पचास रूपये के दो नोट, कुल तिरालीस सौ रूपये निकालकर देने पर उसे प्र0पी0–14 के जप्ती पत्र अनुसार जप्त किया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार गिरफ्तारी पंचनामा क्रमशः प्र0पी0–16, प्र0पी0–17 एवं प्र0पी0–18 के अनुसार गिरफ्तार किया गया। जप्तशुदा आधार कार्ड को आर्टिकल–ए एवं तीनों आरोपीगण से जप्तशुदा राशि 12,900/–रूपये को आर्टिकल–बी से चिन्हित किया गया।

49. अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–14 में साक्षी इस बात को स्वीकार करता है कि यह सही है कि उसके द्वारा प्रकरण में रवानगी एवं वापसी का सान्हा पेश नहीं किया गया है, लेकिन इस बात को अस्वीकार किया गया है कि यह कहना गलत है कि रोजनामचा सान्हा की नकल इसलिए पेश नहीं किया, क्योंकि वह मौके पर नहीं गया था। प्रतिपरीक्षण के पैरा–15 में साक्षी कहता है कि आरोपीगण ग्राम छतवई में ही उसे मिल गये थे। इस बात को अस्वीकार किया है कि यह कहना गलत है कि इस प्रकरण के वास्तविक आरोपी नहीं मिलने पर उसके द्वारा न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण को असत्य रूप से पकड़कर उनके खिलाफ कार्यवाही कर दी गई है। यह कहना गलत है कि तीनों आरोपियों के मेमोरेण्डम बयान पर उसने जबरदस्ती कोरे कागजों पर उनके हस्ताक्षर थाने में प्राप्त कर लिया था। यह कहना भी गलत है कि तीनों आरोपियों ने उसे कोई भी रूपया, आधार कार्ड या मोटर साइकल जप्त नहीं कराया था। यह कहना गलत है कि फरियादी रामदास से आधार कार्ड प्राप्त कर उसने उसकी झूठी जप्ती दिखायी है। यह कहना सही है कि जप्तशुदा नोटों की कोई पहचान जप्ती पत्रक में दर्शित नहीं की है और न ही नोटों का नंबर जप्ती पत्रक में लिखा है।

50. प्रतिपरीक्षण के दौरान अपने बयान के पैरा–16 में इस बात को स्वीकार किया है कि यह सही है कि जिसके पास पैसा हो वह दो हजार, पांच सौ, एक सौ एवं पचास के नोट अपने पास रख सकता है। इस बात को अस्वीकार किया है कि यह कहना गलत है कि साक्षीगण रामप्रताप एवं लल्ला विश्वकर्मा के समक्ष कोई जप्ती पत्रक नहीं तैयार किया था और आरोपीगण ने साक्षियों के समक्ष कुछ जप्त नहीं कराया था। इसी पैरा के अंत में साक्षी इस बात को अस्वीकार किया है कि यह कहना गलत है कि रामदास बैगा ने अपनी पत्नी का पैसा हड़प लिया है और उससे मिलकर आरोपीगण को झूठा फंसा दिया है। इस प्रकार इस साक्षी के व्दारा अपने द्वारा की गई मेमोरेण्डम एवं जप्ती की कार्यवाही का पूर्णतः समर्थन किया गया है।

51. अभियोजन की ओर से मेमोरेण्डम एवं जप्ती के बावत् स्वतंत्र साक्षी श्री रामप्रताप साहू (अ0सा0–4) का बयान कराया गया है। इस साक्षी ने अपने न्यायालयीन बयान में बताया है कि वह हाजिर अदालत आरोपीगण को जानता है। फरियादी रामदास को भी जानता है। घटना लगभग दो वर्ष पूर्व की है। फरियादी गुल्लू बैगा स्व–सहायता समूह का पैसा बैंक में जमा करने हेतु लेकर आया था। पीड़ित ने उसे बताया था कि उसके साथ नरवार रोड के पास आरोपीगण ने लूट कारित की है। आगे साक्षी कहता है कि सोनू का मेमोरेण्डम बयान प्र0पी0–9 है जिसके ए से ए भाग पर

उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी जीतेन्द्र सिंह का मेमोरेण्डम बयान प्र0पी0–10 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी रघुराज का मेमोरेण्डम बयान प्र0पी0–11 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसी प्रकार जप्ती पत्रक प्र0पी0–12 लगायत प्र0पी0–14 पर भी ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

52. इस साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान बयान के पैरा–3 में इस बात को स्वीकार करता है कि यह सही है कि आरोपी सोनू ने उसके सामने पुलिस को मेमोरेण्डम बयान दिया था। यह सही है कि सोनू ने बताया था कि वे लोग शहडोल आये थे और शराब पिये और खाना खाये। यह सही है कि उसने यह भी बताया था कि दो हजार रूपये खर्च हो गये हैं। यह भी सही है कि उसने यह भी बताया था कि पांच सौ पचास रूपये का मोटर साइकल में पेट्रोल डलवा लिया था। यह सही है कि उसने यह भी बताया था कि पांच–पांच हजार रूपये तीनों लोग आपस में बांट लिये थे। यह भी सही है कि सोनू ने यह भी बताया था कि आठ–नौ सौ रूपये खर्च हो गया है, बांकी बचा पैसा जेब में है। यह भी सही है कि आधार कार्ड को जीतेन्द्र कुमार ने रखा है। यह भी सही है कि उसने यह भी बताया था कि 4100/–रूपये जो उसकी जेब में है, वह निकालकर दे रहा है। यह सही है कि पुलिस ने सोनू के बयान के बाद मेमोरेण्डम प्र0पी0–9 दर्ज किया था तब उसने ए से ए भाग पर अपना हस्ताक्षर किया था।

53. आगे साक्षी बयान के पैरा–4 में इस बात को स्वीकार करता है कि यह सही है कि जीतेन्द्र कुमार सिंह भी था। यह सही है कि उसने भी उसके सामने पुलिस को बयान दिया था। यह सही है कि उसने बताया था कि उन लोगों ने पैसों का बंटवारा पांच–पांच हजार रूपये का किया है। यह कहना सही है कि उसने यह भी बताया था कि हिस्से में प्राप्त पैसों में से पांच सौ रूपये खर्च हो गया है और चार हजार पांच सौ रूपये व आधार कार्ड जेब में रखा है जिसे जप्त कराना बताया था। यह भी सही है कि आरोपी जीतेन्द्र ने फरियादी गुल्लू का आधार कार्ड एवं चार हजार पांच सौ रूपये अपनी जेब से निकालकर दिया था तब पुलिस वालों ने उसकी जप्ती बनायी थी।

54. आगे साक्षी अपने बयान के पैरा–5 में इस बात को स्वीकार किया है कि यह सही है कि आरोपी रघुराज सिंह धुर्वे ने पुलिस को बताया था कि उन लोगों ने आपस में पांच–पांच हजार रूपये का बंटवारा कर लिया था। आरोपी ने यह भी बताया था कि आधार कार्ड जीतेन्द्र ने रख लिया है। यह सही है कि रघुराज सिंह ने पुलिस को यह भी बताया था कि सात सौ रूपये खर्च हो गये हैं और तैतालिस सौ रूपये पैंट के पीछे जेब में रखा है। यह सही है कि पुलिस ने रघुराज सिंह से तैतालिस सौ रूपये जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी0–14 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किया था।

55. बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी से प्रतिपरीक्षण किये जाने पर अपने बयान के पैरा–6 में इस बात को साक्षी स्वीकार किया है कि यह सही है कि उसने

आरोपीगण को पहली बार थाने में देखा था। साक्षी स्वतः कथन करता है कि जब वह शहडोल से अपने घर जा रहा था तो छतवई में आरोपीगण को देखा था। यह सही है कि छतवई में देखने के पूर्व वह आरोपीगण को नहीं जानता था। प्रतिपरीक्षण के पैरा–7 में साक्षी कथन करता है कि पुलिस वालों के समक्ष आरोपीगण ने क्या बयान दिया था? उसे नहीं मालूम। स्वतः कथन करता है कि उसके समक्ष जप्ती की कार्यवाही हुई थी। बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि यह कहना गलत है कि किस आरोपी से कितने–कितने रूपये पुलिस वालों ने उसके समक्ष जप्त किये थे? वह नहीं बता सकता। साक्षी ने स्वतः कथन में बतलाया है कि रघुराज सिंह से 4300/–रूपये, जीतेन्द्र सिंह से 4500/–रूपये तथा सोनू से 4100/–रूपये उसके समक्ष जप्त किये गये थे। आगे साक्षी कहता है कि यह सही है कि आरोपीगण से जो–जो राशि उसके समक्ष जप्त की गई, उसमें कितने–कितने के नोट थे? वह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि जब वह थाने गया था उस समय पहले से ही पुलिस वालों ने रूपया निकाल कर रखा था। स्वतः कथन किया है कि उसके समक्ष ही आरोपीगण से रूपया जप्त किया गया था। यह कहना गलत है कि उसके सामने पुलिस वालों ने आरोपीगण से कोई रूपये जप्त नहीं किया था।

56. इस प्रकार यह साक्षी अन्वेषक साक्षी द्वारा की गई मेमोरेण्डम एवं जप्ती की कार्यवाही का पूर्णतः समर्थन करता है। यह साक्षी अपने मुख्य परीक्षण में बतायी गई बातों पर कहीं भी प्रतिपरीक्षण में खंडित नहीं हुआ है और इस साक्षी के कथन से मेमोरेण्डम एवं जप्ती की कार्यवाही का पूर्णतः समर्थन होना पाया जाता है। अतः आरोपीगण का मेमोरेण्डम एवं जप्ती प्रमाणित पाया जाता है। विशेषकर आरोपी जीतेन्द्र कुमार सिंह से पीड़ित का आधार कार्ड क्रमांक 483417904479 जप्त किया गया है जो कि आर्टिकल–ए है। यह तथ्य बहुत ही विष्मयकारी है कि फरियादी का आधार कार्ड आरोपी के पास कैसे आया? इस बात का कोई स्पष्टीकरण आरोपी जीतेन्द्र कुमार ने नहीं दिया है। अतः यह बात पूरी–पूरी प्रमाणित हो जाती है कि आरोपीगण ने ही पीड़ित के साथ लूट कारित किया है।

57. अतः अभियोजन की ओर से प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य मेमोरेण्डम एवं जप्ती की कार्यवाही अन्वेषक साक्षी एवं स्वतंत्र साक्षी के कथन से पूर्णतः प्रमाणित पायी जाती है और यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि घटना, दिनांक, समय पर इन्हीं आरोपीगण ने ही पीड़ित श्री रामदास बैगा के साथ लूट कारित कर उसका आधार कार्ड एवं उसके पास रखे 17,550/–रूपये की लूट कारित की।

58. आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने विद्वतापूर्ण तर्क में व्यक्त किया है कि अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः आरोपीगण दोषमुक्ति के पात्र हैं। उक्त बात का विरोध अभियोजन की ओर से किया गया है।

59. उक्त तर्क के दृष्टिकोंण से मामले का अवलोकन किया गया।

60. इस प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखने के पहले यह देख लिया जाए कि युक्तियुक्त संदेह से परे कौन सी बला है ?

61. **इन्दर सिंह तथा अन्य बनाम दिल्ली प्रशासन 1979 (1) उम0नि0प0 1443** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि दाण्डिक विधि विनिश्चायक सबूत की अपेक्षा नहीं करती है, वह केवल युक्तियुक्त संदेह से परे सबूत की अपेक्षा करती है। निःसंदेह दाण्डिक मामलों में युक्तियुक्त संदेह से परे सबूत पेश किया जाना होता है, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि वह परिपूर्ण हो। यदि कोई मामला पूर्णरूपेण साबित कर दिया जाता है तो यह दलील दी जाती है कि यह कृत्रिम है। यदि किसी मामले में कुछ दोष रह गये हैं, जो मानव के त्रुटि उन्मुक होने के कारण अनिवार्य हैं, तो यह दलील दी जाती है कि यह बहुत अपूर्ण है। युक्तियुक्त संदेह से परे सबूत **''मार्गदर्शक है न कि कोई जादू–टोना।''**

62. **उत्तरप्रदेश राज्य बनाम अनिल सिंह ए.आई.आर. 1988 एस0सी0 1998 = 1989 (1) उम.नि.प. 977** में देश के शिखर न्यायालय ने व्यक्त किया है कि –

> **'' – – – न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह वास्तविक सच्चाई का पता लगाये। न्यायाधीश मात्र इसलिए दाण्डिक विचारण में पीठासीन नहीं होता कि वह यह सुनिश्चित करें कि किसी निर्दोष व्यक्ति को दण्डित न किया जाए, बल्कि वह इसलिए भी पीठासीन होता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई दोषी व्यक्ति दण्डित होने से न बच पाए। दोनों ही महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं, जिनका न्यायाधीश को पालन करना होता है।''**

63. आपराधिक मामलों में सबूत की अपेक्षित मात्रा के संबंध में **''लार्ड डेनिंग''** के मत को यहां उद्धृत करना सुसंगत होगा। लार्ड डेनिंग ने **मिलर बनाम मिनिस्टर ऑफ पेंशन्स 1947 (2) ऑल इंग्लैण्ड रिपोर्टस 373** वाले मामले में आपराधिक मामलों में अपेक्षित सबूत की मात्रा पर विचार करते हुये यह मत व्यक्त किया कि –

> **''– – –वह मात्रा सुस्थापित है, यह आवश्यक नहीं है कि वह निश्चितता तक पहुंचे ही, किन्तु उसे अधिसंभाव्यता की उच्च मात्रा तक तो पहुंचना ही चाहिए। युक्तियुक्त संदेह से परे सबूत से संदेह की छाया से परे सबूत अभिप्रेत नहीं है। उस स्थिति में विधि समाज को संरक्षण प्रदान करने में असफल हो जाएगी, यदि उसमें न्याय के पक्ष से विचलन करने के लिए काल्पनिक संभावनाओं को स्वीकार किया जाता है। यदि साक्ष्य किसी व्यक्ति के विरूद्ध इतना सशक्त है कि उसके पक्ष में केवल एक दूरस्थ संभावना ही शेष रहती है, जिससे ''निःसंदेह यह संभव है, किन्तु तनिक भी अधिसंभाव्य नहीं'' वाक्य का प्रयोग करके अस्वीकार किया जा सकता है, तो मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित हो जाता है।''**

64. उक्त के बावत् **इकबाल मूसा पटेल विरूद्ध स्टेट ऑफ गुजरात**

2011(2) एस0सी0सी0 198, **बलवन्त बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1982 एम.पी. डब्ल्यू.एन.–2**, **अप्पाभाई बनाम गुजरात राज्य ए.आई.आर. 1988 एस0सी0 696**, **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ए.के. एन्थनी ए.आई.आर. 1985 एस.सी. 48**, **गुरूवचन सिंह बनाम सतपाल सिंह तथा अन्य ए.आई.आर. 1990 एस.सी. 209**, **शिवाजी राय व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य ए.आई.आर. 1973 एस.सी. 2622**, **बर्के जोसफ बनाम केरल राज्य ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892 पैरा–12**, **आशीष बाथम बनाम म0प्र0 राज्य 2003 (1) एम.पी.एच.टी.–1 (एस.सी.)**, **थावरिया बनाम म0प्र0 राज्य 2004 (4) एम.पी.एल.जे. 442**, **कलीराम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य ए.आई.आर. 1973 एस.सी. 2773** एवं **जोगेन्द्र सिंह बनाम हरियाणा राज्य 1974 किमिनल लॉ जनरल 117** भी अवलोकनीय हैं।

65. जैसा कि उपर वर्णित है कि जिन परिस्थिति में सभी आरोपीगण एक साथ पीड़ित के पास आये और पहले उससे बीड़ी मांगे और बीड़ी नहीं मिलने पर उसके साथ छीना–झपटी कर उससे 17,550/–रूपये की लूट की जिससे स्पष्ट है कि आरोपीगण ने उक्त अपराध अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में किया था। अत : निर्मित अवधारणीय बिन्दु क्रमांक–1 का निष्कर्ष **''प्रमाणित''** स्वरूप में दिया जाता है।

66. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः आरोपीगण को निम्नानुसार दोषसिद्धी प्रदत्त की जाती है –

क्रं.	नाम आरोपी	पिता का नाम	दोषसिद्धी	दोषमुक्ति
1.	सोनू उर्फ मिथलेश सिंह	श्री हरिभान सिंह	धारा 392/34 भा.दं.सं.	––निल––
2.	जीतेन्द्र कुमार सिंह	श्री रमेश सिंह	धारा 392/34 भा.दं.सं.	––निल––
3.	रघुराज सिंह	श्री औसर सिंह	धारा 392/34 भा.दं.सं.	––निल––

67. दं0प्र0सं0, 1973 की धारा 235 (2) के अनुसार आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लेखन स्थगित किया गया।

(व्ही0पी0सिंह)
सत्र न्यायाधीश
शहडोल म0प्र0

दण्डादेश

68. आरोपीगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन के प्रतिनिधि को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि

आरोपीगण का पहला अपराध है। आरोपीगण कम उम्र के नवयुवक हैं। उनके जेल में रहे आने से उनका भविष्य खराब हो जाएगा तथा उनके जेल में अन्य आरोपियों के साथ रहने के कारण उनका मस्तिष्क भी प्रभावित होगा, इसलिए नर्म रूख अपनाया जावे, जबकि अभियोजन के प्रतिनिधि का कहना है कि अपराध गंभीर प्रकृति का है और आरोपीगण ने बीच रास्ते में फरियादी के साथ जिस प्रकार की वारदात की है। अतः कोई रियायत न बरती जावे।

69. **स्टेट ऑफ एम0पी0 बनाम बालू 2005 (1) एस.सी.सी. 108** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि अपर्याप्त दण्ड देने से समाज में न्यायालय के प्रति गलत संदेश जाता है। अपराध की प्रकृति के अनुसार पर्याप्त कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिए।

70. **रमन बनाम फ्रांन्सिस 1988 कि.लॉ. जनरल 1359** में माननीय केरल उच्च न्यायालय ने दण्डादेश के संबंध में इस प्रकार का मत प्रकट किया है –

> **''अपर्याप्त दण्डादेश विधि व्यवस्था को हानि पहुंचा सकते हैं। विधि को अपराधीकरण की ओर से मिलने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहिए। डगमगाती दुर्बलता को घेरने वाली मत्तप्राय : भावनाएं छिपी नहीं रह सकती हैं। सुधारवादी भावनाएं किसी युक्तियुक्त दण्डादेश प्रणाली के किसी काम नहीं आ सकती हैं। गलत धारणाओं पर टिके उदारवादी दृष्टिकोंण का समर्थन नहीं किया जा सकता है।''**

71. उक्त के बावत् **कर्नाटक राज्य बनाम कृष्ण उर्फ राजू ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 861 = 1987 कि.लॉ.ज. 779 = 1987 (1) एस.सी.सी. 538**, **पंजाब राज्य बनाम मानसिंह ए.आई.आर. 1983 एस.सी. 172**, **धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1994 (2) एस.सी.सी. 220** एवं **भारत संघ बनाम कुलदीप सिंह 2004 (2) एस.सी.सी. 590** अवलोकनीय हैं। उक्त के आलोक में आरोपी की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत का कोई लाभ उसे नहीं प्रदत्त किया जा सकता है।

72. चूंकि आरोपीगण भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 392/34 के तहत दोषसिद्ध हुए हैं। आरोपीगण ने जिस प्रकार से बीच रास्ते में फरियादी के साथ लूट कारित कर उसका आधार कार्ड एवं उसके जेब में रखा समूह का पैसा कुल 17,550/–रूपये की लूट कारित की है, उस परिस्थिति में आरोपीगण रियायत के पात्र नहीं दिखते हैं। अतः आरोपीगण को निम्नानुसार दंडित किया जाता है –

क्रं.	**नाम आरोपी/पिता का नाम**	**धारा**	**सजा**	**जुर्माना रूपये में**	**व्यतिक्रम में सजा**
1	**सोनू उर्फ मिथलेश सिंह पिता श्री**	**धारा 392/34**	**दस वर्ष का सश्रम**	**10,000/– रूपये**	**दो साल का सश्रम**

	हरिभान सिंह	**भा.दं.सं.**	**कारावास**	**(दस हजार रूपये)**	**कारावास**
2.	**जीतेन्द्र कुमार सिंह पिता श्री रमेश सिंह**	**धारा 392/34 भा.दं.सं.**	**दस वर्ष का सश्रम कारावास**	**10,000/– रूपये (दस हजार रूपये)**	**दो साल का सश्रम कारावास**
3.	**रघुराज सिंह पिता श्री औसर सिंह**	**धारा 392/34 भा.दं.सं.**	**दस वर्ष का सश्रम कारावास**	**10,000/– रूपये (दस हजार रूपये)**	**दो साल का सश्रम कारावास**

73. प्रतिकर दिलाये जाने बावत् इससे संबंधित दं0प्र0सं0, 1973 की धारा 357 के उपबंधों का उदारतापूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सरवन सिंह तथा अन्य बनाम पंजाब राज्य ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 1525** एवं **हरि सिंह तथा हरियाणा राज्य बनाम सुखवीर सिंह 1989 (2) उम.नि.प. 186 = 1988 (2) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 150 (एस0सी0)** में से माननीय उच्चतम न्यायालय ने **'हरि सिंह'** वाले मामले में अपने निर्णय के चरण क्रमांक 10 एवं 11 में निम्नानुसार मताभिव्यक्ति की है –

> **''– – –इस शक्ति का आशय पीड़ित व्यक्ति को इस बावत् आश्वस्त करना है कि दाण्डिक न्याय प्रणाली में उसकी उपेक्षा नहीं की गई है। यह ऐसा अध्युपाय है जिसमें अपराध के बारे में समुचित रीति से कार्यवाही की जाती है और साथ ही साथ पीड़ित व्यक्ति की अपराधी के साथ सुलह हो जाती है। किसी हद तक यह अपराधों के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोंण है। वास्तव में यह हमारी दाण्डिक न्याय प्रणाली में एक प्रगतिशील कदम है। अतः हम यह सिफारिश करते हैं कि सभी न्यायालयों को इस शक्ति का उदारतापूर्वक प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि बेहतर रूप में न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।''**

74. माननीय उच्चतम न्यायालय ने चरण–11 में इस प्रकार मताभिव्यक्ति की है –

> **''– – –किन्तु, प्रतिकर के रूप में संदाय युक्तियुक्त होना चाहिए। युक्तियुक्त क्या है ? यह हर एक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। प्रतिकर की मात्रा का अवधारण करने के लिए अपराध की प्रकृति, पीड़ित व्यक्ति के लिए दावे का औचित्य और संदाय करने की अभियुक्त की सामर्थ्य को ध्यान में**

लिया जा सकता है। यदि एक से अधिक अभियुक्त हैं तो जब तक कि संदाय करने की उनकी सामर्थ्य पर्याप्त रूप से भिन्न नहीं है तो उन्हें समान रूप से संदाय करने के लिए कहा जा सकता है। ऐसा संदाय हर एक अभियुक्त के कार्यों पर निर्भर करते हुए भी भिन्न हो सकता है। प्रतिकर के संदाय के लिए युक्तियुक्त अवधि यदि आवश्यक हो तो किश्तों द्वारा की जा सकती है। न्यायालय व्यतिक्रम की दशा में दण्डादेश अधिरोपित करके आदेश को प्रवर्तित कर सकते हैं। ''

75. उक्त के बावत् **<u>मांगीलाल बनाम म0प्र0 राज्य 2004 (2) एस.सी.सी. 447</u>** एवं **<u>के.ए. अब्बास बनाम सावू जासेफ तथा अन्य 2010 (6) एस.सी.सी. 230</u>** में भी वर्णित सिद्धांत अवलोकनीय हैं।

76. आरोपीगण द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत अवधि को द0प्र0सं0, 1973 की धारा 428 के आलोक में मुजरा की जावे। न्यायिक अभिरक्षा प्रमाण–पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। आरोपीगण का सजा वारंट तैयार किया जावे।

77. प्रकरण में जप्तशुदा मोटर साइकल क्रमांक एम0पी0–54एम0ए0/9193 आवेदक/आरोपी सोनू उर्फ मिथलेश पिता श्री हरिभान सिंह निवासी ग्राम रहठा थाना नौरोजाबाद जिला उमरिया म0प्र0 की अंतरिम सुपुर्दगी पर दिये जाने का आदेश पारित किया गया है। चूंकि संबंधित मोटर साइकल का प्रयोग संबंधित इस प्रकरण के अपराध में किया गया है। अतः उसे राजसात किया जाता है। उसे नीलाम कर अपील अवधि पश्चात् राशि सरकारी खजाने में जमा कराई जावे। यदि अपील की गई तो माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

78. प्रकरण में आरोपीगण से जप्त की गई राशि कुल **<u>12,900/–रूपये एवं जुर्माने में से दस हजार रूपये फरियादी रामदास बैगा पिता श्री दादूराम बैगा निवासी ग्राम उमरिया थाना गोहपारू जिला शहडोल म0प्र0</u>** को अपील अवधि पश्चात् प्रतिकर के रूप में दी जावे। यदि अपील की गई तो माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देषानुसार कार्यवाही की जावे।

तद्नुसार निर्णय पारित।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशानुसार निर्णय टंकित किया गया।

(व्ही0पी0 सिंह)
सत्र न्यायाधीश
शहडोल म0प्र0

(व्ही0पी0 सिंह)
सत्र न्यायाधीश
शहडोल म0प्र0

VIRENDRA PRATAP SINGH

Digitally signed by VIRENDRA PRATAP SINGH
DN: cn=VIRENDRA PRATAP SINGH, ou=DISTRICT AND SESSIONS COURT SHAHDOL, o=DISTRICT AND SESSIONS COURT SHAHDOL, st=Madhya Pradesh, c=IN

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, शहडोल, जिला शहडोल (म0प्र0)
(पीठासीन न्यायाधीश–व्ही0पी0 सिंह)

S.T.N0.	**226/2019**
Filing NO.	**2829/2019**
CNR NO.	**MP18010034102019**
Filing Date	**25-09-2019**

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र सोहागपुर जिला शहडोल (म0प्र0)

––––––––––––––––––**अभियोजन**

बनाम

1. सोनू उर्फ मिथलेश सिंह पिता श्री हरिभान सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम रहठा थाना नौरोजाबाद जिला उमरिया (म0प्र0)
2. जितेन्द्र कुमार सिंह पिता श्री रमेश सिंह उम्र 20 वर्ष निवासी कुदरा टोला थाना करन पठान जिला अनूपपुर (म0प्र0)
3. रघुराज सिंह पिता श्री औसर सिंह उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम पैलवाह थाना गोहपारू जिला शहडोल (म0प्र0)

––––––––––––––––––**अभियुक्तगण**

क्र0	नाम आरोपी	निरोध की अवधि
1	सोनू उर्फ मिथलेश सिंह पिता श्री हरिभान सिंह	गिरफ्तारी दिनांक **15.08.2019** से दिनांक **21.11.2019** तक अभिरक्षा अवधि।
2	जितेन्द्र कुमार सिंह पिता श्री रमेश सिंह	गिरफ्तारी दिनांक **15.08.2019** से दिनांक **19.11.2019** तक अभिरक्षा अवधि।
3	रघुराज सिंह पिता श्री औसर सिंह	गिरफ्तारी दिनांक **15.08.2019** से दिनांक **21.11.2019** तक अभिरक्षा अवधि।

उक्त प्रमाण–पत्र मेरे हस्ताक्षर
एवं मुद्रा से आज दिनांक
को जारी किया गया।

(व्ही0पी0सिंह)
सत्र न्यायाधीश
शहडोल म0प्र0